

वन विभाग... उत्तर प्रदेश... परिधि (सर्किल)... प्रमाण... खण्ड (डिवीजन)... फतेहपुर
अन्य अपराध... भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना सं०... दिनांक २०/११/२०२० वन परिक्षेत्र... फतेहपुर
1921 की धारा-33 R.C.No-48/20/9-2020

1. अपराधी का नाम/पिता का नाम ① श्री मती सुनरदा देवी यादव विनोद कुमार चटेल नि० ग्राम-तारापुर मजरे
और मूल निवास स्थान फतेहपुर तारापुर पो० तारापुर जिला-फतेहपुर

2. साक्षी का नाम ② उप महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान पेद्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड इतल
88 ए गोलवन पुरबा, सफेद नगर हमीरपुर रोड फानपुर नगर।
श्री शिवराम सिंह 88 क्षेत्रीय वन अधिकारी पुतल श्री लक्ष्मी नि० चारकपुरम
फालोनी कलक्टर गंज धाना- फतेहपुर जिला-फतेहपुर।

3. कथित अपराध का पूरा विवरण फतेहपुर जेनरल मार्ग कि० मी० 15-16 के मध्य वायी पट्टी पर संरक्षित
और दिनांक वन क्षेत्र को मिट्टी द्वारा पाटकर मार्ग बनाना। D.No. 121/19-20
फतेहपुर 25/2/22 10/10/20 8-20
हो० व० फतेहपुर

4. मूल्य इसको जोड़ मालाई शोध में
प्रमाणित निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर
सर्वोच्च
प्रभागीय निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर
महोदय

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) जांच जारी है
के संबंध में विशेष कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरि।
भवदीय

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाणित आज दिनांक २०/११/२०२० को फतेहपुर जेनरल मार्ग पर
आदि का उल्लेख के दौरान देखा कि कि० मी० 15-16 के मध्य वायी पट्टी पर भारत पेद्रोलियम
पम्प की स्थापना की गयी है जिसमें संरक्षित क्षेत्र पर अग्ने जाने का दास्ता मिट्टी
की पुराई कर बना लिया गया जोके पर पेद्रोल पम्प मालिक नहीं थे अग्नेयुक्तों
का मह हटाय भारतीय वन अधिनियम 1921 की धारा 33 के अंतर्गत दण्डनी
अपराध है।

अतः H2 केस दर्ज कर प्रथम रिपोर्ट सूचना प्रेषित है।

13/1/20

20/11/20
प्रमाणित निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर
एच-2 केस जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर पदनाम/दिनांक सहित

हस्ताक्षर प्रमाणित
प्रमाणित निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर